अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
सचिवालय

पोर्ट ब्लेयर, दिनांक 31 जनवरी, 2006

अधिसूचना

सं. 24/06/1–467/2001–टी.डब्ल्यू. । संविधान के अनुच्छेद 240 के अधीन भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित और दिनांक 26 अगस्त, 2005 को भारत के असाधारण राजपत्र भाग–।।, धारा 1 में प्रकाशित निम्नलिखित संशोधन विनियम को आम जनता की सूचना के लिए पुनः प्रकाशित किया जाता है ।

आदेश

(जी.सी. जोशी)
विशेष सचिव(जनजाति कल्याण)
अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह (आदिम जनजातियों का संरक्षण) संशोधन विनियम, 2005
2005 का सं. 3

भारत के गणतंत्र के छप्पनवे वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित प्रख्यापित :–

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह (आदिम जनजातियों का संरक्षण) विनियम, 1956 का संशोधन विनियम ।

संविधान के अनुच्छेद 240 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति उनके द्वारा बनाए निम्नलिखित विनियम को प्रख्यापित करते है ।

संक्षिप्त शीर्षक तथा आरम्भ

1.(1) इस विनियम को अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह (आदिम जनजातियों का संरक्षण) संशोधन विनियम, 2005 कहा जा सकेगा ।

(2) यह उस दिन प्रवृत्त होगा जो उपराज्यपाल सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करेंगे ।

धारा 2 का संशोधन

1956 का पंजीकरण सं. 3

2. अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह (आदिम जनजातियों का संरक्षण विनियम, 1956 (जिसे इसके पश्चात मूल विनियम कहा जाएगा) की धारा 2 के खण्ड (ख) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातः–

(ख) "प्रशासक" से अभिप्रेत है भारत के संविधान की अनुच्छेद 239 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के संघ शासित प्रदेश का प्रशासक ;

"मुख्य आयुक्त" शब्द के लिए प्रशासक शब्द का प्रतिस्थापन

(3) मूल विनियम में जहाँ कहीं भी 'मुख्य आयुक्त' शब्द प्रयुक्त हुआ है उसके स्थान पर 'प्रशासक' शब्द प्रतिस्थापित होगा ।

धारा 8 के लिए नई धारा का प्रतिस्थापन

मूल विनियम की धारा 8 के लिए निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित होगा अर्थातः–

जुर्माना

"8(1) जो कोई भी धारा 6 के उपबन्धों का उल्लंघन कर आरक्षित क्षेत्र में अथवा किसी भूमि या उगे फसलों या उत्पाद पर अधिकार करता हो अथवा कोई व्यापार या व्यवसाय करता हो तो उसे कारावास की सजा दी जाएगी जो दो वर्षों तक की हो सकती है और साथ ही साथ जुर्माना भी भरना पड़ेगा